

**राजस्थान विधान सभा**  
**दशम् सत्र**  
**कार्य-सूची**  
**गुरुवार, दिनांक 15 फरवरी, 2018**  
**बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे**

**1. प्रश्न**

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

**2. शोकाभिव्यक्ति**

श्री जगमाल सिंह यादव, पूर्व सदस्य, आठवीं, नवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा तथा हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुए हिमस्खलन एवं आतंकवादी घटनाओं में शहीद हुए सैनिकों के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी ।

**3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

**(क) अधिसूचनार्ये**

1- श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, वित्त एवं उद्योग विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्ये सदन की मेज पर रखेंगे :-

**वित्त विभाग**

1. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-178 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-269 दिनांक 30.3.2016 में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-179 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 8.3.2017 में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-180 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-227 दिनांक 8.3.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-181 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-228 दिनांक 8.3.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-182 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-229 दिनांक 8.3.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-183 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(6)वित्त/कर/2016-230 दिनांक 8.3.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

7. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-184 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद-10 में विनिर्दिष्ट किसी कम्पनी के संगम अनुच्छेद के लिखत पर देय स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया गया है;
8. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-185 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के संबंध में बैंक और वणिक के मध्य निष्पादित करार पर देय स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है;
9. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-186 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा सेबी में पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के पक्ष में प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री के लिये अधिकृत करने हेतु निष्पादित पावर ऑफ अटार्नी के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई;
10. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-187 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद-14 और 37 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर देय स्टाम्प शुल्क का निर्धारण किया गया है;
11. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-188 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9(1) के अधीन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-157 व 158, राजस्थान सरकारी अनुदान 1961 एवं स्लम रिडवलपमेंट पॉलिसी, 2012 के अन्तर्गत जारी पट्टों पर देय मुद्रांक शुल्क का निर्धारण किया गया है;
12. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-189 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(6)वित्त/कर/2014पार्ट-156 दिनांक 1.1.2018 में संशोधन किया गया है;
13. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-190 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 9.3.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
14. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-191 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमियों की वर्तमान डीएलसी दरों में दिनांक 13.2.2018 से 10 प्रतिशत की कमी की गई है;
15. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-192 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमियों की दरों को डीएलसी द्वारा वर्ष 2018-2019 में पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा;
16. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-193 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(10)वित्त/गुप-4/92-1 दिनांक 10.5.1994 को अतिष्ठित किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-194 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1) में संशोधन किया गया है;
18. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-195 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 9.4.2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
19. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-196 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत आवासीय इकाइयों के संबंध में विकासकर्ता और आवंटिती के मध्य निष्पादित विक्रय करार पर देय पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है;
20. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-197 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-124 दिनांक 8.3.2017 में संशोधन किया गया है;
21. अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-198 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा पैतृक सम्पत्ति के विभाजन की लिखत पर देय पंजीयन शुल्क का निर्धारण किया गया है;
22. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/27बी-1 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/ एचक्यू/95/27बी दिनांक 8.3.2016 में संशोधन किया गया है;
23. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/1 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा नष्ट हो चुके मोटरयान, नष्ट हो चुके मोटरयानों से भिन्न यान एवं अन्य राज्यों में रजिस्ट्रीकृत एवं राज्य में 30 दिन से अधिक के उपयोग के लिये लाये गये मोटरयानों पर देय कर पर ब्याज एवं शास्ति पर छूट प्रदान की गई है;
24. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/2 दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा मूल रूप से वाहन निर्माताओं द्वारा विनिर्मित एवं एलपीजी, सीएनजी या सौर ऊर्जा से संचालित लोक सेवा यानों पर देय एकमुश्त कर में छूट प्रदान की गई है;
25. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/22एफ दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/ एचक्यू/95/22सी दिनांक 14.7.2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं
26. अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/21ए दिनांक 12.2.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(261)परि/कर/एचक्यू/2004-21 दिनांक 22.9.2004 में संशोधन किया गया है ।

**उद्योग विभाग**

1. अधिसूचना संख्या: एफ.15(5)डीएमआईसी/मिस./2016/एसआईआर एक्ट/16 दिनांक 28.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विशेष विनिधान रीजन नियम, 2017 विरचित किये गये हैं;
  2. अधिसूचना संख्या: एफ.15(5)डीएमआईसी/मिस./2016/एसआईआर एक्ट/16 दिनांक 28.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विशेष विनिधान रीजन अपील प्राधिकरण नियम, 2017 विरचित किये गये हैं; एवं
  3. अधिसूचना संख्या: एफ.15(5)डीएमआईसी/मिस./2016/एसआईआर एक्ट/16 दिनांक 28.12.2017 जिसके द्वारा राजस्थान विशेष विनिधान रीजन (लेखा, संपरीक्षा और संपरीक्षा फीस) नियम, 2017 विरचित किये गये हैं ।
- 2- श्री श्रीचन्द कृपलानी, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

**नगरीय विकास एवं आवासन विभाग**

1. अधिसूचना संख्या: एफ.10(7)यूडीएच/3/2009पार्ट-III दिनांक 8.8.2017 जिसके द्वारा विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण के पश्चात् पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु वास्तुविदों का पैनल तैयार करने एवं एम्पेनल्ड वास्तुविदों द्वारा विकासकर्ताओं को सीधे ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.4(52)यूडीएच/II/2016 दिनांक 5.9.2017 जिसके द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण नियम, 2017 विरचित किये गये हैं;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.18(31)नविवि/एचएफए-2022/2015 दिनांक 4.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90-ए के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर-कृषिक आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञा/आवंटन की आवश्यकता में संशोधन करते हुए ऐसे प्रकरणों में 90-ए के तहत आदेश जारी किये जाने तथा संबंधित निकाय के नाम भूमि आने के पश्चात् एकल पट्टा/ले आउट प्लान की अनुमति प्रदान की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.1(5)आरजे/रेरा/2017 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी रेग्युलेशन, 2017 विरचित किये गये हैं;
5. अधिसूचना संख्या: एफ.18(13)नविवि/जयपुर/2016 दिनांक 18.10.2017 जिसके द्वारा एकीकृत भवन विनियम, 2017 विरचित किये गये हैं;

6. अधिसूचना संख्या: एफ.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 30.11.2017 जिसके द्वारा विभिन्न नगरीय क्षेत्रों हेतु आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि (सिवायचक, अवाप्तशुदा एवं अन्य राजकीय भूमि) के नियमन करने के लिये दरें निर्धारित की गई हैं;
7. अधिसूचना संख्या: एफ.4(1)आरजे/रेरा/2017/450 दिनांक 21.12.2017 जिसके द्वारा रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी द्वारा नगरीय क्षेत्र के बाहर भी विकसित की जा रही आवासीय एवं व्यवसायिक परियोजनाओं का विनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य किया गया है; एवं
8. अधिसूचना संख्या: एफ.12(231)यूडीएच/2014 दिनांक 16.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 में संशोधन किया गया है।

#### **(ख) वार्षिक प्रतिवेदन**

- 1- श्री गजेन्द्र सिंह, पर्यावरण मंत्री, राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2010 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखेंगे ।
- 2- श्रीमती किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगी :-
  - (I) मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 1962 की धारा-39 के अन्तर्गत मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016; एवं
  - (II) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 1987 की धारा-38(4) के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं 2017-2018.

#### **4. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन**

श्री गोपाल कृष्ण, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख', 2017-2018, गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित समिति के अष्टम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

### 5. वित्तीय कार्य

#### अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (द्वितीय संकलन) एवं अतिरेक मांगे वर्ष 2014-2015 का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2017-2018 (द्वितीय संकलन) एवं वर्ष 2014-2015 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे ।

### 6. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019

#### प्रथम अवस्था

#### अग्रत्तर सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019 पर अग्रत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

( विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी )

पृथ्वी राज  
सचिव

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 14 फरवरी, 2018